भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 951

08 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

पोषणवर्धित चावल का वितरण

951. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य ने केन्द्र सरकार से राज्य में चावल की स्वदेशी किस्मों के पोषक-तत्वों से समृद्ध होने का हवाला देते हुए, सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से पोषणवर्धित चावल अनिवार्य रूप से वितरित करने के कदम की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि केन्द्र सरकार चावल के पोषणवर्धन की लागत वहन करती, तो केरल पोषणवर्धन प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केरल में उत्पादित कस्टम-मिल्ड चावल की आपूर्ति करने के लिए तैयार था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार केरल राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(ड) क्या केरल ने मांग की है कि चम्बावरी का पोषणवर्धन नहीं किया जाना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): केरल राज्य सरकार ने यह कारण देते हुए कि कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से राज्य को खाद्यान्नों के फोर्टिफिकेशन से छूट देने का अनुरोध किया थां। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। दिनांक 30 जून, 2024 तक की अवधि के लिए, लागत शीट में आकस्मिक व्यय के रूप में भारत सरकार द्वारा चावल के फोर्टिफिकेशन की पहल को शत-प्रतिशत वित्त पोषित किया गया है। इसके साथ ही, यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू है।

(घ) और (ड.): एनएफएसए के अंतर्गत, भारतीय खाद्य निगम द्वारा दो श्रेणियों के चावल अर्थात् 'सामान्य' और 'ग्रेड क' की आपूर्ति की जाती है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ परामर्श करके राज्य द्वारा चम्बावरी चावल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थानीय रूप से खरीदे गए चावल की अन्य किस्मों के संबंध में पौषणिक सामग्री का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ फोर्टिफाइड किए गए चावल के लिए मानक प्रदान किए जाते हैं। चावल के फोर्टिफिकेशन के संबंध में सरकार की पहल के अंतर्गत, इन सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात आयरन, विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के रूप में सामान्य चावल के साथ 1:100 के अनुपात में सम्मिश्रित (ब्लेंड) किया जाता है।

....2/-

(च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए निर्णय लेने के दौरान भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया था तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक सरकारी योजना को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

****